फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

हजारीराम — चन्दादेवी वगैरह

मुकदमा नं. ...101.... / 2021

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07/12/2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी कि ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठौड ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी का एक खेत ख.न. 586 रकब 1.0279 है. सरहद मौजा खिंयाला तहसील जायल में स्थित है जिसपर प्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है। इसके चिपता उत्तर–पश्चिम दिशा में अप्रार्थी स. 1 का खेत ख.न. 587 रकबा 0.8984 है. आया हुआ है तथा उससे आगे खिंयाला से रोजा जाने वाला कटाणी रास्ता आया हुआ है। प्रार्थी के इस खेत में जाने का कोई कटाणी रास्ता नहीं है, एवं वर्तमान मे प्रार्थी के खेत में आवागमन बन्द है जिससे प्रार्थी का खेत बिना काश्त के पडा है। प्रार्थी के इस खेत में जाने के लिए कटाणी रास्ता से अप्रार्थी के खेत ख.न. 587 की दक्षिणी माठ के अन्दर चलकर आया जाया जा सकता है। इस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी चन्दादेवी के खातेदारी का खेत ख.न. 587 के दक्षिणी सीव के पास–पास से कटाणी रास्ता बाबत् प्रार्थनापत्र धारा 251 क आरटी एक्ट का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके प्रार्थनापत्र सं. 61/2021 है। अप्रार्थी चन्दादेवी ने प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये मांग किये गये रास्ते के स्थान पर भूमि को खुर्द–बुर्द करेने के आशय से भूमि का रूपान्तरण गैर कृषि कार्य के लिये करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदी अप्रार्थी सं. 01 ऐसा करने में सफल होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। अतः अप्रार्थी सं 01 चन्दा देवी को ख.न. 587 की दक्षीणी माठ के पास–पास प्रार्थी द्वारा मांग किये गये रास्ते की भूमि की वर्तमान मौके एवं रिकार्ड कि स्थिति को प्राथी द्वारा प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र संख्या 61/2021 के अन्तिम तौर से निस्तारण होने तक, ख.न. 587 की दक्षीणी माठ के पास–पास प्रार्थी द्वारा मांग किये गये रास्ते की भूमि पर न तो कोई कच्चा पक्का निर्माण करने एवं न ही भूमि का रूपान्तरण गैर कृषि कार्य बाबत् जरिये अन्तिरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावें। वकील प्रार्थी कि एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस के तथ्यों की ताईद रिकॉर्ड होती है। ख. न. 587 की दक्षीणी माठ के पास–पास अप्रार्थी द्वारा कोई कोई कच्चा पक्का निर्माण किया जाता है या भूमि का रूपान्तरण गैर कृषि कार्य हेतु किया जाता है तो, अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी तथा प्रार्थना पत्र सं. 61/2021 का उद्धेश्य धूमिल होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थी सं 01 चन्दादेवी व अप्रार्थी सं. 2 को ग्राम खिंयाला के तहसील जायल के खसरा न. 587 रकबा 0.8984 है. कि दक्षीणी माठ के पास–पास जहां से प्रार्थी द्वारा कटाणी मार्ग कि मांग कि गई है, उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करके कच्चा पक्का निर्माण नही करने व भूमि का रूपान्तरण गैर कृषि कार्य हेतु नहीं करने व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने जरिये अन्तिरिम अस्थाई निषेधज्ञा के पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण को जबाव देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें।पत्रावली दिनांक 07/02/22 को पेश हो। 07/12/2021 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

बनाम्

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– /.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
22/6/22	[illegible]/पक्षकारान के अधिवक्ता। पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/अवकाश पर [illegible] हुए है, इसलिए प्रकरण [illegible] के समक्ष दिनांक 13/7/22 को पेश हो	
13/7/22	पत्रावली पेश। उप.। अवर प्रा. पत्र एवं तलबी हेतु दिनांक 18/7/22. को पेश हो [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
18/7/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकैन उप.। प्रा. पत्र से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र प्रा. पत्र अधीन धारा 251 क R.T.Act का खारिज हो गया है। मूल प्रार्थना पत्र के अभाव में 212 R.T.Act के प्रा. पत्र का औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 R.T.Act का खारिज किया जाता है। बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे/जावे। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	